न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –452 / 2023

अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र बाग अली जाति अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अकरम पुत्र अब्दुल सलाम जाति अराई निवासी ढाणी अराई तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120 / 120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में से 470 / 7083 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

रोही मौजा ढाणी अराईयान तहसील नोहर के खाता संख्या 120 / 120 की कुल 7. 0830 हैक्ट भूमि में अकरम पुत्र अब्दुल सलाम जाति अराई 470 / 7083 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि का इकरारनामा दिनांक 07.09.2014 को लिखवा दिया तथा मौके पर ही स्टाम्प पेपर पर रौबरू गवाहन निष्पादित करवा दिया तथा इकरारनामा के अनुसार दिनांक 04.16.2015 हनीफ पुत्र मेहरदीन के पक्ष में बैयानामा करवाने का इकरार किया था। मुताबिक इकरारनामा के अनुसार हनीफ पुत्र मेहरदीन को बैयनामा नही करवाया हनीफ पुत्र मेहरदीन ने सिविल न्यायालय में इकरारनामा के आधार पर वाद पेश किया एवं सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2016 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हनीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति अराई के पक्ष में निष्पादित किया। हनीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान ने दिनांक 07.07.2021 को वादी के नाम अपने नाम दर्ज चल व अचल सम्पति की वसीयत करवा दी। हनीफ खां पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है। अतः रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120 / 120 की कुल 7. 0830 हैक्ट भूमि में से 470 / 7083 हिस्सा भूमि का वादी मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह श्री अभिषेक पारी पुत्र श्रवण कुमार जाति ब्राहमण उम्र 36 साल व आमीन पुत्र खैरदीन जाति कुम्हार मुसलमान ने शपथ पत्र पेश किया की हनीफ पुत्र मेहरदीन ने दिनांक 06.07.2021 को अपने भानजे श्योकत के पक्ष में हमारे सामने तहरीर करवाई थी। जो की नोटेरी पब्लिक श्री नरेन्द्र किशोर जोशी से तस्दीकशुदा है। वसीयतकर्ता हनीफ खा का दिनां25.05.2022 को देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाहान हमारे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर वादी काबिज है। वसीयत के संबंध में श्योकत अली व अदरीस खां द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्यवादी जमाबंदी रोही मौजा 30 एनटीआर खाता स0 120 सम्वत 2070–73, चित्रप्रति इकरारनाम, मृत्यु प्रमाण पत्र हनीफ खा, चित्रप्रति वसीयतनामा, चित्रप्रति निर्णय दिनांक 04.08.2015 द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा ढाणी अराईयान तहसील नोहर के खाता संख्या 120/120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में अकरम पुत्र अब्दुल सलाम जाति अराई 470/7083 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि का इकरारनामा दिनांक 07.09.2014 को लिखवा दिया तथा मौके पर ही स्टाम्प पेपर पर रौबरू गवाहन निष्पादित करवा दिया तथा इकरारनामा के अनुसार दिनांक 04.16.2015 हनीफ पुत्र मेहरदीन के पक्ष में बैयानामा करवाने का इकरार किया था। मुताबिक इकरारनामा के अनुसार हनीफ पुत्र मेहरदीन को बैयनामा नही करवाया हनीफ पुत्र मेहरदीन ने सिविल न्यायालय में इकरारनामा के आधार पर वाद पेश किया एवं सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2016 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हनीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति अराई के पक्ष में निष्पादित किया। हनीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान ने दिनांक 07.07.2021 को वादी के नाम अपने नाम दर्ज चल व अचल सम्पति की वसीयत करवा दी। हनीफ खां पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है। अतः रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में से 470/7083 हिस्सा भूमि का वादी मुताबिक वसीयत खातेदार [illegible] है।

पेरोकार राज ने नि[illegible] किया की [illegible] सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में से 470/7083 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। मुताबिक इकरारनाम दिनांक को अकरम द्वारा हनीफ खां के पक्ष में किया गया था उक्त इकरारनामा के आधार पर माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2016 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हनीफ खां पुत्र मेहरदीन जाति अराई के पक्ष में निष्पादित किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा की चित्रप्रति के अनुसार हनीफ खां द्वारा उक्त वाद भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में तहरीर की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हनीफ खां का देहान्त हो चुका है। वसीयत के संबंध में गवाह श्री अभिषेक पारी पुत्र श्रवण कुमार जाति ब्राहमण उम्र 36 साल व आमीन पुत्र खैरदीन जाति कुम्हार मुसलमान ने शपथ पत्र पेश किया की हनीफ पुत्र मेहरदीन ने दिनांक 06.07.2021 को अपने भानजे श्योकत के पक्ष में हमारे सामने तहरीर करवाई थी। जो की नोटेरी पब्लिक श्री नरेन्द्र किशोर जोशी से तस्दीकशुदा है। वसीयतकर्ता हनीफ खा का दिनां25. 05.2022 को देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाहान हमारे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर वादी काबिज है। वसीयत के संबंध में श्योकत अली व अदरीस खां द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी अराईयान तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में 470/7083 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –452/2023

अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र बाग अली जाति अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. टकरम पुत्र अब्दुल सलाम जाति अराई निवासी ढाणी अराई तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 452 सन 2023 निर्णय दिनांक – 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी अराईयान तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.0830 हैक्ट भूमि में 470/7083 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:42 IST
Reason: SelfAttested